भारतीय मानक ब्यूरो पटना शाखा कार्यालय, पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण, पटना - 800 013
BUREAU OF INDIAN STANDARDS Patna Branch Office, Patliputra Industrial Estate, Patna - 800013
e-mail : pbo@bis.org.in, pbo.bis@nic.in & hpbo.bis@nic.in

दूरभाष / Phones 2262808, 2271625 फैक्स / Fax +91-612-2275342 तार / Grams : मानकसंस्था / Manaksanstha

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक - 13/07/2017

भारतीय मानक ब्यूरो के पटना शाखा कार्यालय को सूचना मिली थी कि मुज्जफरपुर में कुछ पैकेजबंद पेयजल निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से पैकेजबंद पेयजल का निर्माण एवं बेच रहे हैं ।

इस आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता का गठन किया गया एवं तलाशी एवं जब्ती अभियान हेतु दिनांक 13/07/2017 को दस्ते दल को भेजा गया । छापेमारी के दौरान मेसर्स जे के एक्वा इण्डस्ट्रीज, बनारस बैंक चौक, मुज्जफरपुर द्वारा पैकेजबंद पेयजल पर भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करते हुए पाया गया ।

छापेमारी के दौरान उपरोक्त फर्म के पास भारी मात्रा में अवैध रूप से निर्मित आईएसआई मार्क पैकेजबंद पेयजल पाया गया जिसको दस्ते दल ने जब्त एवं सील किया ।

अवैध रूप से निर्मित पैकेजंबद पेयजल का नमूना दस्ते दल ने जब्त एवं सील कर अपने पास सबूत के तौर पर रखा ।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के नियमों के तहत आइएसआई मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन होने के बाद रु. 50000/- की जुर्माना या उत्पादनकर्ता को एक वर्ष की सजा या दोनों दिया जा सकता है । भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में इस तरह का अभियान गुप्त सूचना के आधार पर, अपने सौजन्य से एवं अन्य आधार पर करता रहता है । उक्त फर्म के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

(केसीएस बिष्ट)
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख